



उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जलभवन' बी-ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

आदेश संख्या : 3085/वि0अनु0/02/टैरिफ-ना0प0शु0/2022-23 दिनांक 03/08/2022

कार्यालय-आदेश

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान की अनुमति दिनांक 01 अगस्त 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के स्वामित्व/किरायेदारी में अन्तरण हेतु "जल/सीवर संयोजन नाम परिवर्तन" मद स्वीकृत करते हुए रु0 750.00 शुल्क निर्धारित किया जाता है।

- 2- "स्वामित्व अन्तरण" से आशय किसी अन्य व्यक्ति के नाम सम्पत्ति करने से है। पैतृक सम्पत्ति में "स्वामित्व अन्तरण" पर शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(नीलिमा गर्ग)

मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून (मु0/टी.आर.एम.) / पौड़ी / नैनीताल / पिथौरागढ़।
2. सचिव प्रशासन उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान.....
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान.....
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अधि0/मु0), उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6. जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश/विकासनगर।
7. श्री मनोज भट्ट, संगणक, उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय।
8. सम्बन्धित पत्रावली/आदेश पंजिका/गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक